

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद

कार्यालय-म0सं0-01, लेन नं0-06, पुष्प कुंज कॉलोनी, मोथरावाला रोड़, देहरादून-248121
उत्तराखण्डपारामेडिकलकौन्सिल3@gmail.com

फोन नं0 0135-2533830, 2728330, 2866330

पत्राक:-र-20/उ0परा0चि0प0/061/2018/12099

दिनांक 15 फरवरी, 2020

सेवा मे,

प्राचार्य/प्रधानाचार्य,

फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एवं एलाइड हेल्थ साइन्सेज,

मदरहुड यूनिवर्सिटी, ग्राम करौंदी, भगवानपुर,

रूड़की, हरिद्वार।

विषय-उत्तराखण्ड राज्य में परा-चिकित्सकीय संस्थानों/विश्वविद्यालयों में परा-चिकित्सकीय पाठ्यक्रम संचालित करने हेतु मान्यता प्रदान किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद, विनियम-2014 की धारा 17, (6), (आठ) के क्रम में फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एवं एलाइड हेल्थ साइन्सेज, मदरहुड यूनिवर्सिटी, ग्राम करौंदी, भगवानपुर, रूड़की, हरिद्वार नामक संस्थान का उत्तराखण्ड परा चिकित्सा परिषद के आदेश संख्या-र-20/उ0परा0चि0प0/061/2018/12078, दिनांक 25 जनवरी, 2020 में गठित निरीक्षण समिति द्वारा दिनांक 29 जनवरी, 2020 को शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु संस्थान में संचालित निम्नलिखित पाठ्यक्रमों के सन्दर्भ में निरीक्षण किया गया-

क्र0सं0	संस्थान का नाम	पाठ्यक्रम	मान्यता प्राप्त कुल सीटों की संख्या
01.	फैकल्टी ऑफ पैरामेडिकल एवं एलाइड हेल्थ साइन्सेज, मदरहुड यूनिवर्सिटी, ग्राम करौंदी, भगवानपुर, रूड़की, हरिद्वार।	बी0एम0एल0टी0 बी0एम0आर0आई0टी0 बी0पी0टी0	20 25 20

निरीक्षण: दल द्वारा अपनी निरीक्षण आख्या में निम्नवत कमियां इंगित की गयी हैं-

01. दिव्यांग जनों के चढ़ने उतरने की व्यवस्था उपलब्ध करवाना सुनिश्चित किया जाय।
02. छात्राओं के छात्रावास में, वार्डन कक्ष को व्यवस्थित करना एवं CCTV कैमरे लगाना सुनिश्चित किया जाना।
03. फिजियोथेरेपी पाठ्यक्रम की प्रयोगशाला कक्ष निर्धारित मानको के अनुसार छोटा है।
04. पुस्तकालय में अग्निशामक यंत्रों को रखने तथा अग्नि लगने जैसी स्थिति में निकास हेतु उचित प्रबंध करना सुनिश्चित किया जाय।

अतः प्राप्त निरीक्षण आख्या के आलोक में संस्थान को शैक्षिक सत्र 2019-20 हेतु अस्थायी मान्यता इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि उक्त संस्थान द्वारा, इंगित की गई उपरोक्त कमियों को छः माह के भीतर पूर्ण करना सुनिश्चित किया जायेगा एवं तद्विषयक आख्या भी परिषद कार्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

भवदीय,

(मुकेश कुमार राय)

सचिव/रजिस्ट्रार

उत्तराखण्ड परा-चिकित्सा परिषद।